भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2603

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

इथेनॉल उत्पादन हेतु जारी किए गए चावल और अन्य खाद्यान्न

2603. श्री जावेद अली खान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक इथेनॉल उत्पादन हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गए चावल और अन्य खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल और अन्य अनाजों को अवैध रूप से दूसरी जगह भेजने की घटनाएं सामने आई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एफसीआई द्वारा जारी चावल और अन्य खाद्यान्नों के कथित रूप से दूसरे कामों में इस्तेमाल किये जाने की जांच शुरू की है;

(ड.) यदि हां, तो मामला-वार तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अब तक एफसीआई द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए जारी किए गए चावल की मात्रा का विवरण निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	एफसीआई द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए बेचे गए चावल की मात्रा (लाख टन में)
2023-24	8.96
2024-25	2.36
2025-26	52.22
2026-27 (दिनांक 31.07.2026 तक)	23.42

...2/-

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों में, एफसीआई द्वारा संबंधित आबंटित डिस्टिलरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए जारी किए गए चावल के डायवर्जन का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई के चावल के डायवर्जन के दो मामले सामने आए हैं और त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) से (च): दोनों डिस्टिलरियों द्वारा चावल की खेपों की आवाजाही में अनियमितताओं का पता चलने के बाद, राज्य खाद्य विभागों ने आवश्यक कार्रवाई की है। एफसीआई ने भी इन डिस्टिलरियों को चावल का आगे आबंटन बंद कर दिया है।
